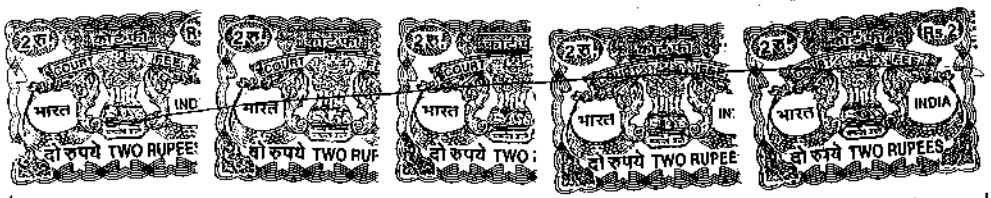

Rs. 20/-

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०

R 5021-II/16

1. श्रीमती प्रमिला सिंह पत्नी स्व०सम्पति सिंह

2. शैंकर सिंह पिता स्व०सम्पति सिंह

3. दोनो निवासी साकिन कोठी, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म०प्र०वर्तमान निवासी रुक्मिनी नगर काटोल रोड नागपुर महाराष्ट्र द्वारा खास मुख्तार राहुल सिंह पिता छोटे लाल सिंह उम्र 25 वर्ष, निवासी कोठी, तहसील रायपुर कर्चु०, जिला रीवा म०प्र०

3. छोटे लाल सिंह तनय करण सिंह (मृत) द्वारा वारिसान–

(1) राहुल सिंह पिता श्री छोटे लाल सिंह उम्र 25 साल

(2) कृष्ण कुमार सिंह पिता छोटे लाल सिंह

(3) रोहित सिंह पिता छोटे लाल सिंह

(4) श्रीमती सुशीला सिंह पति स्व०छोटे लाल सिंह उम्र 55 वर्ष

उपरोक्त समस्त निवासी क्रमांक 1 ता 4 ग्राम कोठी, तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र० ---प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण

बनाम

अभयराज सिंह तनय बंशपती सिंह उम्र 60 वर्ष, निवासी कोठी, तहसील रायपुर कर्चु०, जिला रीवा म०प्र० -------अपीलार्थी/अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र०क्र० 380/अपील/06बी मे पारित आदेश दिनांक 4.1.016 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50म०प्र०भू०रा०संहिता 1959ई.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5021/II/16 .... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	प्रमिला सिंह — कार्यवाही तथा आदेश — अमरराज सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-3-16	यह प्रकरण अपर आयुक्त के प्र०क्र० 380/अपील/06 मे पारित आदेश दिनांक 4-1-16 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मे आवेदक अधि० श्री देवेश मिश्रा को सुना गया एवं निगरानी मेमो मे अंकित तथ्यो का परीक्षण एवं परिशीलन किया गया तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 4-1-16 का भी परिशीलन किया गया। परिशीलन करने पर पाया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 4-1-16 से अपील तहसीलदार को उभयपक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करने एवं मौका तथा अभिलेखों की स्थिति के अनुसार गुणदोष के आधार पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित की जाना प्रथमदृष्टया पाई जा रही है। जबकि संहिता की धारा 49 मे संशोधन दिनांक 30-12-11 के अनुसार अपील प्रकरण अधीनस्थ अधि० को प्रत्यावर्तित/प्रतिप्रेषित करने पर पूर्णतः विराम लगाया गया है। अथवा अपील मे अपीलीय अधिकारी निराकरण हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्याया० को प्रतिप्रेषित नहीं करेगा। इस संबंध मे अपर आयुक्त को पूर्व निर्देशित किया गया था किन्तु अपर आयुक्त द्वारा पूर्व आदेशो की अवहेलना करते हुए अपील को प्रत्यावर्तित कर पुनरावृत्ति की गई है जो किसी भी स्थिति मे उचित नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियो मे अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 4-1-16 विधि विरूद्ध	

R. 5021/II/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
प्रमिला सिंह	आमपराज सिंह R 5021-II/16 दीवा	
	होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में स्वयं साक्ष्य एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए उभयपक्ष को सुनने के बाद गुणदोष पर निर्णय पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा० रि० हो। 3.3.16 (सदस्य)	